माँ–बाप के हुकूक़ औलाद पर
और औलाद से मुताल्लिक़ माँ–बाप की ज़िम्मेदारियाँ

इमादुल उलमा अल्लामा सै0 मुहम्मद रज़ी साहब क़िब्ला

कुर्आने हकीम में अल्लाह का फरमान

और हम ने इन्सान को हुक्म दिया कि अपने माँ–बाप के साथ नेक बर्ताव करता रहे। उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ के साथ पेट में रखा और बड़ी तकलीफ के साथ पैदा किया।

(सूर–ए–अह्क़ाफ़ आयत–15)

और तुम्हारे परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और माँ–बाप के साथ नेक सुलूक करते रहो फिर अगर तुम्हारे सामने वह बुढ़ापे को पहुँच जाएँ उनमें से एक या दोनो तो उनके मुक़ाबले में ''उफ'' तक न करना और न उन्हें झिड़कना और उनसे अदब के साथ बात करना और उनके सामने रहमदिली के साथ इन्केसार के साथ झुके रहना और कहते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार इन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपने में परवरिश किया है।

(सूर–ए–बनीइस्राईल आयत–23–24)

एक दूसरी जगह पर इरशाद हुआ है:–

अल्लाह की इबादत करो और किसी चीज़ को भी उसका शरीक न बनाओ और अपने माँ–बाप के साथ अच्छा बर्ताव करते रहो।

(सूर–ए–निसॉ आयत–36)

एक और जगह कुर्आन में ख़ुदा ने फरमाया:

(ऐ रसूल स0) तुम लोगों से कह दो कि जो कुछ तुम नेक कामों में ख़र्च करो वह माँ–बाप और रिश्तेदारों के लिए करो। (और उन लोगों के लिए जिनका आयत में आगे ज़िक्र किया गया है।)

(सूर–ए–बक़र: आयत–215)

इरशादाते सरवरे काएनात (स0)

हुज़ूर (स0) ने फरमाया: अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ चाहे तुम्हें आग में जला दिया जाए और अपने माँ–बाप की इताअत व फरमाँबरदारी करते रहो और हमेशा उनके हुक्म पर अमल करो चाहे वह ज़िन्दा हों या वफ़ात पा चुके हों।

(उसूले काफ़ी: जि–2 पे–158)

किसी शख़्स के बार–बार इस सवाल के जवाब में कि किसके साथ नेक सुलूक करूँ हुज़ूर (स0) ने तीन बार इरशाद किया: अपनी माँ के साथ। फिर चौथी बार फरमाया, अपने बाप के साथ।

(बुख़ारी: जि–2 पे–883/उसूले काफी: जि–2 पे–159/तिरमिज़ी: पे–282 वग़ैर:)

हुज़ूरे अनवर (स0) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ की: मुझे जेहाद का बड़ा शौक़ है। आपने फरमाया: फिर तुम जेहाद में शरीक हुआ करो क्योंकि अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हें हमेशा की ज़िन्दगी मिलेगी और अल्लाह

की बारगाह से रिज़्क़ मिलता रहेगा और ज़िन्दा रह गए तो तुम्हारे पिछले सब गुनाह माफ हो जाएँगे। उसने अर्ज़ की मेरे बूढ़े माँ–बाप मौजूद हैं और वह मुझसे बहुत मुहब्बत करते हैं और मुझे अपने से अलग नहीं होने देते। हुज़ूर ने फरमायाः अगर ऐसा है तो फिर तुम उनके पास ही रहा करो और जेहाद में शरीक न हो। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, तुम्हारा अपने माँ–बाप के पास उनकी तसल्ली के लिए सिर्फ एक रात–दिन मौजूद रहना सालभर जेहाद करते रहने से अफ़ज़ल है। (यह बात उस वक़्त होगी जबकि किसी पर जेहाद शरीअत के हिसाब से वाजिब न हो जाए। रज़ी)

(उसूले काफीः जि–2 पे–160)

इस तरह के मज़मून की हदीस बुख़ारी, जि–2 पे–283 वग़ैरः में भी है। हुज़ूर (स0) ने फरमायाः (जो बात हुक्मे खुदा के ख़िलाफ न हो) उसमें जो कुछ माँ–बाप की मर्ज़ी हो उसी में अल्लाह की ख़ुशी है और जिस चीज़ में उनकी मर्ज़ी न हो उसमें अल्लाह की भी मर्ज़ी नहीं होती।

(हुज़ूर स0 का यह भी इरशाद है)ः कबीरः गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ''शिर्क'' है फिर उसके बाद माँ–बाप की नाफरमानी।

(तिरमिज़ीः पे–283 / अलखुल्कुलकामिलः जि–3 पे–188 बहवाला तबरानी वग़ैरः)

हुज़ूर (स0) ने फरमायाः जिन गुनाहों की सज़ा अल्लाह देना चाहेगा क़यामत में देगा मगर माँ–बाप की नाफ़रमानी की सज़ा वह औलाद को दुनिया की ज़िन्दगी ही में दे देता है और उसे क़यामत पर उठा नहीं रखता।

(अलअदबुल मुफ़रद लिलबुख़ारीः पे–7 / अलखुलकुलकामिलः जि–3 पे–190 बहवाला तबरानी वग़ैरः)

हुज़ूरे अनवर (स0) का इरशाद हैः अगर औलाद के किसी बुरे काम से माँ–बाप को तकलीफ पहुँचे और वह रोने लगें तो उस रोने से औलाद अपने आप आक़ हो जाती है।

(अलअदबुल मुफ़रद लिलबुख़ारीः पे–8)

हुज़ूर का फरमान हैः

मज़लूम की बद्दुआ से डरो क्योंकि उसकी क़बूलियत में कोई पर्दा नहीं होता। इसी तरह औलाद अपने बाप की बद्दुआ से डरे क्योंकि उसकी काट तलवार से ज़ियादा तेज़ होती है।

(उसूले काफीः जि–2 पे–509)

हुज़ूर (स0) का इरशाद हैः

तीन दुआएँ यक़ीनन क़बूल होती हैंः मज़लूम और मुसाफिर की दुआ और माँ–बाप की बद्दुआ औलाद के हक़ में।

(अलअदबुल मुफ़रद लिलबुख़ारीः पे–8 / तिरमिज़ीः पे–283)

रसूले करीम (स0) का इरशाद हैः

वह आदमी बड़ा बदक़िसमत है जो अपने माँ–बाप का बुढ़ापा पाए और फिर उनकी इताअत करके और उन्हें ख़ुश करके उनकी दुआओं से अपने को जन्नत का मुस्तहक़ न बना ले।

(तफ़सीर इब्ने कसीर / तफ़सीर मजमउलबयान / तफ़सीरे साफ़ी वग़ैरः सूरह बनीइस्राईल 23–24 / सही मुस्लिमः जि–2 पे–314)

हुज़ूर (स0) ने फरमायाः

माँ के पैरों के नीचे जन्नत है।

(मिश्कात / मुसनद अहमद / नेसाई / बैहक़ी वग़ैरः बहसे बिर्र व सिलः)

(इमामे जाफ़र सादिक़ अ0) माँ–बाप की तरफ गुस्से में औलाद का तेज़ निगाहों से देखना उसको अपने आप आक़ बना देता है और फिर उसकी नमाज़ और कोई इबादत क़बूल नहीं होती। (जब तक वह तौबः न करे और माँ–बाप उसकी उस निगाह को माफ न कर दें)

(और आपने फ़रमाया):

जो शख़्स अपने माँ–बाप की इताअत करता है, अल्लाह मौत के वक़्त की सख़्तियाँ उस पर आसान कर देता है।

(सफीनतुल बहारः जि–2 पे–687)

माँ–बाप पर औलाद के हुक़ूक़ और जिम्मेदारियाँ कुर्आन और हदीस की रौशनी में

ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने घर, ख़ानदान वालों को उस आग (जहन्नम) से बचाओ जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर हैं।

(मतलब यह हुआ कि अपने घर, ख़ानदान वालों को जिनमें लाज़मी तौर पर औलाद भी दाख़िल है बुराईयों से बचाना हर शख़्स की ज़िम्मेदारी है और क़यामत में उसके लिए उससे पूछ–ताछ की जाएगी।)

हुज़ूर (स0) ने फ़रमायाः

जिस घर में बच्चे न हों बरकत नहीं होती, औलाद जन्नत के फूल हैं। अपनी औलाद की क़दर करो और उसे अच्छे अदब सिखाओ क्योंकि वह तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह का तोहफा है। अपनी औलाद से मुहब्बत के इज़हार में बराबरी और इंसाफ करने को अल्लाह पसन्द फरमाता है।

(अलख़ुलकुल कामिलः जि–3 पे–185 बहवाला तिरमिज़ी व बुख़ारी)

हुज़ूर अनवर (स0) का इरशाद हैः

जो अपनी औलाद को ख़ुश करे अल्लाह उसे क़यामत के दिन ख़ुश करेगा। बच्चों के साथ रहम और मुहब्बत का बर्ताव किया करो और जब उनसे कोई वादा करो तो उसको पूरा करो। वालिद पर ज़रूरी है कि अपनी औलाद को दीन की तालीम दे उसके किरदार की इस्लाह करे। उस पर जुल्म न करे और उसके हुक़ूक़ को अदा करे। औलाद इन्सान के लिए आज़माइश का ज़रिया है बेटियाँ भी फूल हैं और अल्लाह का इनाम हैं।

(उसूले काफीः जि–6 पे–6 / 48 / 49 / 50)

हुज़ूर ने इरशाद कियाः

मुसलमानो! तुम में से हर शख़्स हाकिम है और वह अल्लाह के सामने अपनी रिआया के कामों का जवाबदेह है। यानी उससे उनके कामों की पूछ–ताछ होगी। (चाहे वह शख़्स किसी मुल्क का हाकिम हो या किसी घर, ख़ानदान, स्कूल, क़ौम और किसी आफिस की देखभाल करने वाला और चाहे वह औरत हो या मर्द हो, अपने मातहत लोगों के कामों की जवाबदेही का अल्लाह के दरबार में ज़िम्मेदार है।)

(तिरमिज़ीः पे–261 / मुस्लिमः जि–2 पे–123 / बुख़ारीः जि–2, बाबुन्निकाह पे–783 वग़ैरः)

